न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 06.09.2017

दावा संख्या 40/17

गायत्रीदेवी उम्र 55 साल पत्नि जगदीशप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 दोराने दावा फोत

जरिये कायम मुकाम

1–लोकेश शर्मा पुत्र जगदीशप्रसाद उम्र 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–जगदीशप्रसाद शर्मा पुत्र श्यामसुन्दर उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

वादी

बनाम

1–सचिव कृषि उपज मंडी समिति बारां जिला बारां राज0

2–राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

<u>निर्णय–दिनांक 14.05.2025</u>

उपस्थित–

वादी की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – श्री पंकज शर्मा एडवोकेट

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रीठीपुरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 में वादनी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 6/1 रकबा 3.00 बीघा तथा ख0नं0 6/2 रकबा 3.00 बीघा किता 2 कुल 6.00 बीघा स्थित है, जिसे विवादित कहा गया है। विवादित आराजी मौके पर एक ही चक है, जिसका चारों तरफ पत्थर कोट हो रहा है, जिसे काबिल काश्त बनाने में वादी ने काफी श्रम समय व धन खर्च किया है। प्रतिवादीगण ने ग्राम समरानिया में कृषि उपज मंडी की स्थापना का निर्णय लिया है और जून 2017 में वादनी की अनुपस्थिति में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर विवादित आराजी के आधे से ज्यादा भाग को बाउन्ड्रीवाल के अन्दर कर कब्जा कर लिया है। वादनी ने रोका तो कहा कि तुम्हे दूसरी जगह जमीन दे देते हैं और जब वादनी ने दूसरी जगह जमीन लेने से मना कर दिया तो धमकी दी कि जो बची है, उस जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैधानिक है प्रतिवादीगण अतिचारी हैं, जिन्हे बेदखल कराकर वादनी कब्जा पाने की हकदार है तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी पाने की हकदार है, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस[illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जबाव में दावे की [illegible] अस्वीकार करते हुये कथन किया गया कि गौंण मण्डी समरा[illegible]हाबाद द्वारा दिनांक 21.09.2016 को जो भूमि प्रतिवादी संख्[illegible] को संभलाई [illegible] थी, उसी पर मंडी का बाउन्ड्रीवाल निर्माण किया जा रहा है[illegible] उक्त आराजी [illegible] द्वारा 1,37[illegible] रूपये में खरीद की है, जिसकी राशि भूमि कृषि उ[illegible] मंडी द्वारा जमा करा[illegible] है। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा ख0नं0 2 रकबा 26.10 बीघा, ख0नं0 3 रकबा 53.14 बीघा, ख0नं0 4 रकबा 35.01 बीघा, ख0नं0 5 रकबा 12.04 बीघा, ख0नं0 6 रकबा 38.11 बीघा, ख0नं0

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested

120 रकबा 8.13 बीघा, ख0नं0 121 रकबा 40.00 बीघा किता 7 कुल 244.13 बीघा भूमि पर कब्जा संभलाया है, जिससे वादी का कोई लेना देना नहीं है। अतः वाद वादनी खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

आया विवादित भूमि वादनी के खाते एवं स्वामित्व की है। इसके बीच में होकर प्रतिवादीगण ने जून 2017 में आराजीयात के आधे से ज्यादा भाग को बाउंड्रीवाल करके अपने कब्जे में ले लिया है। कहने के बाद भी कब्जा नहीं छोड रहा है? वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं वादी पी0डबलू 1 गायत्रीदेवी, पी0 डबलू 2 नन्दलाल के बयान कराये और नकल जमाबंदी ग्राम रीठीपुरा संवत 2069–72 खाता संख्या 29 को प्रदर्श 1, दखलनामा प्रदर्श 2 व 3 के रूप में प्रदर्श कराया। प्रतिवादी की ओर से डी0डबलू 1 मनोज कुमार मीणा के बयान कराये गये।

वहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 6/1 रकबा 3.00 बीघा तथा ख0नं0 6/2 रकबा 3.00 बीघा किता 2 कुल 6.00 बीघा वादी के खातेदारी की होना प्रमाणित है, जिस पर दखल दिया जाना भी दखलनामा प्रदर्श 2 व 3 से प्रमाणित होता है। वादी का आरोप है कि प्रतिवादी ने जून 2017 में विवादित आराजी के आधे भाग पर बाउन्ड्रीवाल कर कब्जा कर लिया है। वादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी ने वादी की विवादित आराजी पर कब्जा किया हो अथवा कर रखा हो। इस प्रकार विवादित भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा प्रमाणित नहीं होने से वादी बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। लेकिन विवादित आराजी वादी के खाते की होना प्रमाणित है, इस आधार पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टीएक्ट की हद तक अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खाते की विवादित आराजी ख0नं0 6/1 रकबा 3.00 बीघा तथा ख0नं0 6/2 रकबा 3.00 बीघा किता 2 कुल 6.00 बीघा ग्राम रीठीपुरा तहसील शाहाबाद पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 कोई दखलन्दाजी नहीं करे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:42 IST
Reason: SelfAttested